

रिपोर्ट पटवारी संख्या / आ. 20 एल 00 आर 0  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निराले अनुसार

पौरव

प्रशासन गाँवों के सन अभियान 2021

ग्राम, पार्खें द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शायब पत्र, आम्बरकांड, परिवार रजिस्ट्रार  
 व श्रुत प्रमाण - पत्र के आधार पर पार्खें का नाम गोविन्द कंवर के (पुत्र  
 पर गोंदकंवर पति नारायण सिंह किया जाया उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / मुढागोंडजी

23/11/21  
 [ERJSS]

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी माधव उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निकाला है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
 का नाम गुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम गुरुस्त किये जाने की अभियान की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

उक्त प्रमाण  
 उचित है।

23/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / मुढागोंडजी  
 उदयपुरवाटी (अन्वय)

1534  
 23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी गिला मुयुनुं (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (गु-अ-0)  
 उदयपुरवाटी / मुढागोंडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गु-अ-0) उदयपुरवाटी / मुढागोंडजी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमावन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पार्खें	2075-78	29	गोविन्द कंवर पति नारायण सिंह	गोंद कंवर पति नारायण सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उगत भूगि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1217-1218  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (गु-अ-0) उदयपुरवाटी / मुढागोंडजी को वास्तु प्रमाणार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थी/गो पृथ्वी सिंह उ नारायण सिंह को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

